Committee, these matters should be kept pending. Sir, I would also like to mention that keeping in mind this multiplicity of authorities, the DGHS has carried out an analysis of the existing problems of the medicare facilities in Delhi and has prepared a proposal for reorganisation of the same. The proposal for reorganisation of the medicare facility in the Union Territory of Delhi, *inter alia*, includes establishment of a Delhi Hospital Authority which will be a statutory body for regulating, controlling and planning the activities of the hospitals and dispensaries under the control of the Central Government, the Delhi Administration and the local bodies. There are other important aspects also in the proposal. All these are under the consideration of the Government.

Better service conditions for Nurses

*163. SHRI BISHAMBHAR NATH PANDE: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) what are the details of the memorandum of settlement signed on the 9th February, 1990 with the Delhi Nurse Union;

(b) what were the recommendations of the cadre review committee regarding better promotional prospects and reduction of duty hours etc.;

(c) whether the hospital patient care allowance is also admissible to the nurses; and

(d) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF ENERGY WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (SHRI ARIF MOHD. KHAN): (a) to (d). A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) A copy of the memorandum of settlement between the Directorate General of Halth Services and the Delhi Nurses Union signed on the 9th February, 1990 is enclosed ,Annexure-I). (*See* below).

(b) The norms recommended by Cadre Review Committee for creation of posts is enclosed (Annexure-II). The Cadre Review Committee did not recommend reduction of duty hours. (*See* below).

(c) No, Sir.

(d) Nurses are eligible for Nursing Allowance at Rs. 150/- per month in view of the arduous nature of their work connected with patient care.

Annexure-I

Memorandum of settlement between the D.G.H.S. and Delhi Nurses Union dated 09-2-1990

Whereas the agitation of Delhi Nurses' Union has adversely affected patient care services in several hospitals of Delhi, and whereas both Government of India and the Delhi Nurses' Union are desirous of restoration of normal patient care services in the hospitals at the earliest, now, therefore, Government having sympathetically considered the demands of the Delhi Nurses' Union and the said Union having adopted a realistic attitude in the matter of fulfilment of its demands, the following agreement is reached between the DGHS, Ministry of Health and Family Welfare and the Delhi Nurses' Union

(1) Government will implement the following decisions:

(a) The existing strength of Staff Nurses in Central Government Hospitals will be raised by 5 per cent.

(b) The strength of Ward Sisters in Central Government hospitals will be increased so as to achieve a ratio of one ward sister for 3.6 staff nurses.

(c) The strength of Assistant Nursing Superintendent in Central Government Hospitals will be raised so as to achieve a ratio of 1 Asstt. Nursing Superintedent to 4.5 Ward Sisters.

(d) The strength of Deputy Nursing Superintedents in Central Government Hospitals will be raised so as to achieve one Deputy Nursing Superintendent ti seven Assistant Nursing Superintendents.

(e) Every hospital having 250 or more beds will have one Nursing Superintendent. In addition, hospitals having 500 beds or more will have one Chief Nursing Officer (Rs. 3000—4500) each.

(f) The Delhi Administration, MCD and NDMC will be instructed to adopt the above mentioned norms and increase the strength of Nursing personnel at various level accordingly.

(g) All the Additional staff strength will be sanctioned and promotions effected before May 31, 1990.

(h) The working days for nursing personnel will be 266 days during each calender year consisting of 22|23 days a month.

(2) The Delhi Nurses' Union will ensure that the nurses perform duties as below:

(a) Each nurse will perform 22/23 shift duties every month as decided by the Nursing Superintendent, having due regards to the needs of different shifts.

(b) The presence of regular nursing personnel will be ensured on every day in every shift by arraging duties and off days in a rotational manner.

(3) There will be no victimisation of nurses, 266 duty days will be calculated for every calendar year commending from 01.01.1990.

(4) The Government will provide about 60-70 quarters to married nurses by suitable conversion of a part of nursing hostel in Safdarjang Hospital into accommodation for married nurses (4 rooms to each married nurse, one of these rooms will be converted into kitchen-cum-bath). Government in the Urban Development Department will be specially requested to provide adequate priority for allotment of houses to nurses in R.M.L. and SK Hospitals. Especially in DIZ zone conveniently near the hospitals, Government would consider a long term plan for construction of 400—500 quarters in a new Nurses colony at an appropriate location in Delhi to give adequate satisfaction to the housing problem.

(5) The Government will provide a printed copy of the report of the High Power Committee on Nursing and Nursing profession to the Delhi Nurses' Union before 31.03.1990.

(6) In addition to the promotional posts created and *ad-hoc* increase in nurses' strength mentioned above, an inter-departmental committee would go into the question of appropriate further improvement in the nursing cadre to bring down stagnation to levels obtaining in other cadres, after consulting the Delhi Nurses Union and other nurses representatives.

(7) This agreement is in full and final settlement of the pending demands of Delhi Nurses' Union as on date and the Delhi Nurses Union undertakes to restore normal functioning of the hospitals with immediate effect.

Sd|-
(P. K. GHAI),
Director, Administration & Vigilance
Dte. General of Health Services,
New Delhi.
Dated 9-2-1990.

Sd|-
(Mrs. G. K. Khurana),
General Secretary,
Delhi Nurses Union,
Dr. R. M. L. Hospital,
New Delhi.

Sd|- President,
Delhi Nurses Union,
Safdarjang Hospital,
New Delhi.
and
others.

Annexure-II

Staffing Norms Recommended by the cadre review committee

Norms for supervisory staff

Designation	Span of Control
(i) One Nursing Sister to . . .	5 staff nurses.
(ii) One Assistant Nursing Superintendent/Departmental Sister to	6 nursing sisters.
(iii) One Deputy Nursing Superintendent to .	6 Assistant Nursing Superintendent/Departmental Sisters.
(iv) One Nursing Superintendent to .	Total number of nurses in the Hospital.

One the basis of the above norms, the Cadre Review Committee had recommended the following staffing pattern for a 500 bedded hospital;

1. Nursing Superintendent	1
2. Deputy Nursing Superintendent	1
3. Assistant Nursing Superintendent/Departmental Sisters . . .	9
4. Nursing Sisters	54
5. Staff Nurses	70

The Committee recommended that the ratio of staff nurses to beds ideally should by 54:100 and this ratio may be reached in phases. In the first phase, the ratio may be raised to 33 nurses to 100 beds. In the second phase 45 nurses to 100 beds and in the third phase, 54 nurses to 100 beds.

श्री बिशम्भर नाथ पांडे : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहूंगा कि जिस मेमोरेंडम पर 9 फरवरी, 1990 को हस्ताक्षर किए गए हैं उसके पूरे करने की तिथि, इम्प्लीमेंट करने की तिथि 31 मई, 1990 है, क्या इस संबंध में आवश्यक आज्ञायें जारी की गई हैं या उस अवधि तक जारी कर दी जायेंगी। दूसरी चीज, नर्सेज की पोजीशन अस्पताल स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ी महत्वपूर्ण होती । डाक्टर, नर्सेज तथा पेशंट अटेंडेंट–इन तीनों के ऊपर अस्पताल का चलना निभर होता है, लेकिन इस में नर्सेज की जिम्मेदारी बहुत अधिक होती है। इस वजह से क्या उन को यह पता है कि बीस-बीस वर्ष से नर्सेज जिस जगह थीं, उन के जो ग्रेड थे, उससे वे आगे नहीं बढ़ीं, उन को कोई तरक्की नहीं मिली ? तो क्या कोई ऐसा कदम उठाया जाएगा जिससे कि उन को आटोमेटिकली अपने आप कुछ तरक्कियां मिल सकें ? अगर पद नहीं है, कैडर में आगे तरक्की के लिए जगह नहीं है तो क्या उन को नेक्स्ट ग्रेड या हायर ग्रेड आटोमेटिकली 5 वर्ष बाद, 6 वर्ष के बाद मिल सकता है ? आर्मी की नर्सेज सर्विसेज में ऐसी सुविधा है, लेकिन सी.जी.एच.एस. या गवनमेंट हास्पिटल्स में ऐसी सुविधा नहीं है। तो मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या उनको ऐसी सुविधा दी जाएगी और कम-से-कम उनको 3 इनक्रीमेंट जरूर मिलेंगे चाहे पोस्ट आगे खाली हो या ना हो, लेकिन उनको ग्रेड में इनक्रीमेंट मिलेगा, यह मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूगा।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : श्रीमान 9 फरवरी को नर्सेज की यूनियन और डायरेक्टर जनरल आफ हैल्थ सर्विसेज के बीच हुए जिस समझौते के बारे में माननीय सदस्य ने बताया है, उसको लागू करने के लिए जो कुछ भी कदम उठाए जाना आवश्यक था, वह कदम उठाए गए हैं

और 11 मई को जो एडीशनल स्टाफ उस के नतीजे में सेंक्शन किया गया है, जिसको स्वीकृति दी गई है—उस के लिए 11 मई को सरकारी आदेश भी जारी कर दिया गया है। श्रीमन् इसे 31 मई तक लागू किया जाना है, लेकिन कुछ संस्थाओं में, कुछ अस्पतालों में नियमों के अभाव में कठिनाई पैदा हो सकती है। उन अस्पतालों को यह कह दिया गया है कि वह अपने यहां एडहाक बेसेज पर प्रमोशन दे दें और उस बीच में नियम बनाए जायें, लेकिन जो भी समझौता नर्सेज की यूनियन के साथ हुआ था उस को 31 मई तक लागू कर दिया जाना चाहिए।

माननीय सदस्य ने जो नर्सेज के महत्व पर प्रकाश डाला है, उनके महत्व से इंकार नहीं किया जा सकता। अस्पतालों को सही रूप से चलाने के लिए नर्सेज के लिए और व्यवस्था बनानी पड़ेगी जहां कि वह संतोष से रह सकें और अधिक-से-अधिक सेवा दे सकें। उसके लिए जो समझौता 9 फरवरी, को हुआ है, उस में ही ये सारी बातें शामिल हैं कि कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कितने इंक्रीमेंट मिलने चाहिए इत्यादि। श्रीमन्, इससे पहले जो कॉडर रिव्यु कमेटी बनी थी, उसकी संस्तुतियों को सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन दूसरे विभागों की तरफ से उस में कुछ ऐतराज आए थे, लेकिन 9 फरवरी को जो समझौता हुआ है, वह निश्चित रूप से उस कॉडर रिव्यु कमेटी की जो सिफारिशें थीं, उससे बेहतर है। वह इस लिहाज से भी बेहतर है कि उस में नर्सेज को ज्यादा सुविधायें हैं और इस लिहाज से भी कि उन की ज्यादा स्ट्रेंथ सेंक्शन की गई है इन सब बातों को ध्यान में रखा जाएगा।

श्री बिशम्भर नाथ पांडे : मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि नर्सेज की जो ड्यूटी है वह कई शिफ्टस में होती है। कम-कम-कम दो शिफ्टस में होती है जोकि बड़ी लंबी ड्यूटी हो जाती है। आपकी रिकमंडेशंस में उन्होंने घंटे कम करने की सिफारिश नहीं की हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि 8 घंटे के बाद जहां और दूसरी सर्विसेज में 8 घंटे का नियम है क्या 8 घंटे का नियम नर्सेज की सर्विसेज में आप चालू करने की बात करेंगे ? दूसरी बात, उनके रहने का सवाल है, चूंकि उनकी रेसीडेंस अगर बहुत दूर है और उनको रात को भी जाना पड़ता है, आधी रात को जाना पड़ता है, ऐसी स्थिति में उनके सामने एक सेक्युरिटी का भी सवाल है। तो क्या इस वजह से नजदीक-से-नजदीक रेसीडेंस उनको प्रोवाइड करने की आप कोशिश करेंगे और काफी रेसीडेंस देंगे जिससे कि हरेक को मिल सके। आपने स्वीकार किया है कि मैरिड नर्सेज के लिए आप प्रोवीजन करेंगे लेकिन दूसरी नर्सेज के लिए भी क्या आप सोचेंगे कि उनको भी प्रोवाइड करनी चाहिए। यह जो सिंगल नर्सेज हैं। इसके अलावा उन्हें कितनी रिस्क लेनी पड़ती है, एड्स के केसेज आ जाते हैं, या दूसरे ऐसे केसेज आ जाते हैं, जिसमें बहुत बड़ी रिस्क इन्वोल्व होती है, तो क्या आप उनको कोई रिस्क-एलाउन्स ऐसी स्थिति में देने की बात सोचेंगे ? अगर सोचेंगे तो उसको किस तरह से लागू करेंगे ? फिर इसके अलावा जो समझौता आपने दिल्ली नर्सेज यूनियन के साथ किया है और मेमोरण्डम पर हस्ताक्षर किए हैं, क्या वह सी.जी.एच.एस. और हिंदुस्तान की और जो दूसरी डिसपेंसरीज हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नियंत्रण में है, वहां भी इन्हें लागू करने की चेष्टा करेंगे।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : श्रीमान इस समझौते के अनुसार नर्सों को एक हफ्ते में 40 घंटे काम करना होता है। जैसा सम्माननीय सदस्य 8 घंटे प्रति दिन कहा है, उतना ही वह आएगा।

श्री सभापति : वह तो 56 घंटे होते हैं और आपने 40 घंटे रखा है। यह तो कम हो गया।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : हम तो पांच दिन का हफ्ता मान रहे हैं, श्रीमान और उसके हिसाब से हमने कहा है। जो दूसरी सुविधाओं के बारे में आपने कहा है खासतौर से नर्सों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के बारे में, तो यह समझौते का भी हिस्सा था और यह बात बिल्कुल

सही है कि उनको जिस प्रकार का काम करना होता है, उसके अनुसार यह आवश्यक है कि उनके लिए आवास की सुविधा कहीं अस्पतालों के आसपास ही हो। शहरी विकास मंत्रालय से स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में यह मामला उठाया है और कोशिश कर रहे हैं कि जनरल-पूल से कुछ मकान, कम से कम जो बड़े अस्पताल हैं उनके लिए, कुछ एडीशनल मकान दे दिए जायें, जो नर्सों के लिए इस्तेमाल किए जायें। इसके अलावा जो समझौता हुआ था, उसके अनुसार आज जो एक होस्टल है, जिसमें गैर-शादीशुदा नर्सों के रहने की व्यवस्था है, वहां पर 60 से 70 तक नर्सें, जो शादीशुदा हैं, उनको आवास उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी उसी में तरमीम करके और 400-500 आवास इकाइयां, नर्सों की एक कालोनी बनाने का भी उसी एग्रीमेंट में प्रावधान है और उसके लिए इस साल एक करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया और दिल्ली प्रशासन से उसके लिए जमीन देने के लिए आवेदन किया गया है।

श्री सभापति : इनका एक प्रश्न और था कि जो और अस्पताल हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन, वहां भी यह फेसिलिटीज देंगे, जो एग्रीमेंट में हैं, दिल्ली के बाहर भी।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : जी हां, जो केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में हैं, वहां पर इस समझौते को लागू किया जाएगा।

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: I want to know from the hon. Minister whether he is aware that like a memorandum of settlement signed with the nurses, other memorandums of settlement have also been signed with other categories of hospital workers like doctors. May I know whether the Minister is aware the Government has not been implementing the terms of those memorandum of settlement. Sir, a result of that there is an imminent threat of strike in Delhi hospitals which will result in a grave injustice to the citizens of Delhi. May I know from the Minister whether the Government is now committed to change their past practices and whatever has been agreed in writing will be implemented? What is the policy of the Government to defuse the crisis of the strike? By writing another memorandum of settlement? Or when they write a memorandum of settlement, they mean to implement what they are writing in that settlement?

श्री सभापति : यह प्रश्न नर्सेज का है। मंत्री जी, आप इस पर कुछ बताना चाहें तो बता दीजिए।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : श्रीमन्, नर्सों की यूनियन से हुए समझौते से संबंधित यह प्रश्न है, लेकिन अगर अस्पतालों में काम करने वाले चाहे वह डाक्टर हों या किसी दूसरी श्रेणी के कर्मचारी हों, अगर उनके साथ सरकार का समझौता हुआ हो तो, पहले कोई उल्लंघन किया हो उसकी जिम्मेदारी तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि यदि कोई समझौते हुए हैं तो अब हम उन समझौतों का कोई उल्लंघन नहीं होने देंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि उसको लागू किया जाएगा।

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: I want an assurance from the Minister.

श्री सभापति : जैन साहब, इससे उठता नहीं है, लेकिन फिर भी मंत्री जी ने इतना एसोरेन्स दे दिया है, काफी है।

*164. (The questioner (Shri Shiv Pratap Mishra) was absent. For answer, vide col. ..infra).

सिल्वासा के लिये पूंजी निवेश संबंधी केन्द्रीय राजसहायता

*†165. **डा० बापू कालदाते :**
श्री कमल मोरारका :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 सितम्बर, 1988 के पश्चात् सिल्वासा के लिये पूंजी निवेश

†सभा में यह प्रश्न वस्तुतः डा० बापू कालदाते द्वारा पूछा गया।